(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

459216451

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F.3(55)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV//35

Dated: 04/11/20

Notification No. 14/2020- State Tax

No. F.3 (55)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ —In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance, Revenue-I, No. 72/2019 - State Tax, dated the 16 July, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (18)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/29, dated the 16th July, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October 2020.

By order and in the name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary-IV (Finance)

Dated: 04/11/40

No.F.3(55)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ /3-5

Copy forwarded for information to:-

The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi. 1.

The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in 2. Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi 3.

The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

- The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. 5. Estate, New Delhi
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi

The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.

OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

Ms, Poo nam gahlot, 4st | Inchange, EDFall (Manoj Kumar)

Dy. Secretary-IV (Finance)

Ms Manufa SA-II

10. Website. 11. Guard File.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली—110 002.

सं.फा. 3(55) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डीएस-IV / 135

दिनांकः ७५/11/40

अधिसूचना संख्या 14/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(55)/वित्त(राजरव-I)/2020-21/डीएस-IV/ - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं.फा. 3(18)/वित्त(राजरव-I)/2020-21/डीएस-IV/29, तारीख 16 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 72/2019-राज्य कर, तारीख 16 जुलाई, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरिजस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा ।

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

> (मनोज कुमार) उप सचिव– IV (वित्त)

दिनांकः 04/11/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।

- 2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली!
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

- 9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 10. वेब साईट।

11. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)

उप सचिव-IV (वित्त)